न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 27/2016

अपीलाण्ट्स

1. केसरसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी दयालपुरा तहसील पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. कालुराम पुत्र पुखाराम भाट
2. वागाराम पुत्र पुखाराम भाट
3. बुद्धाराम पुत्र पुखाराम भाट
4. मदनलाल पुत्र भंवरलाल भाट निवासीगण मूलो बा की ढाणी, रूपावास तहसील पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

श्री राधाकिशन बोहरा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री रामलाल भाटी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 26.11.18

—————0—————

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 68/2012 केसरसिंह बनाम कालूराम व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है, जिस पर अपीलाण्ट काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में कब्जा करने की कोशिश करने पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 एवं 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण कायमी तनकीयात में नियत था। इस बीच अपीलाण्ट को बीमारी के ईलाज हेतु अहमदाबाद जाना पड़ा। जिसके कारण अपीलाण्ट राजस्व लोक अदालत में उपस्थित नहीं हो सका। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट के वाद को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। राजस्व लोक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अदालत की मंशा पक्षकारान् में राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित करना है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के हितों के विरूद्ध जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः विधिक प्रक्रिया अनुसार सुनवाई करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया था तथा अपीलाण्ट कोर्ट कैम्प के दिवस मौके पर उपस्थित था एवं जानबूझ कर निकल गया, जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनसी न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया गया था, वह वाद ए0/डी0 एवं कायमी तनकीयात में विचाराधीन था। इस दौरान राजस्व लोक अदालत आयोजित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में नियत किया गया, किन्तु अपीलाण्ट के अनुपस्थित रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज़ किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों के समर्थन में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए है, उनके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट दिनांक 06.07.2015 से दिनांक 20.07.2015 तक श्रीमती सुशीलाबेन कोठारी चेरिटेबल हॉस्पिटल, अहमदाबाद में ईलाजरत था, जिसके कारण अपीलाण्ट नियत तारीख को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने में असमर्थन था। इस सम्बन्ध में विधिक प्रश्न प्रकट होता है कि क्या पक्षकारान की अनुपस्थिति में एवं पक्षकारान् की सहमति के बिना लोक अदालत के माध्यम से पारित निर्णय विधि सम्मत है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006 (4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Legal Services Authorities Act 1987, Section 20 - Power of disposal of cases by Lok Adalat - No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok Adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settlement". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. It is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, 'compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who, to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element of accommodation on each side. It is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settlement" is a

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat." इसी प्रकार एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रभावित होता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना किए बिना ही लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारान में सहमति के बिना जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 68/2012 केसरसिंह बनाम कालूराम व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान कर, प्रकरण में तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 नियम 5 के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार पृथक पृथक विनिश्चय करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली